बिहार सरकार

<u>ग्रामीण विकास विभाग</u>

पत्रांक 211222 पटना, दिनांक 03-12-2014

ग्रा0वि09(ई0)-04/2012

प्रेषक,

राजीव कुमार,
परियोजना पदाधिकारी ।

सेवा में,

<u>सभी जिला पदाधिकारी-सह-जिला कार्यक्रम समन्वयक,</u>
सभी उप विकास आयुक्त-सह-अपर जिला कार्यक्रम समन्वयक,
बिहार ।

विषय:- **मनरेगा योजना अन्तर्गत समय से मजदूरी का भुगतान एवं जॉब कार्डधारियों द्वारा काम की मांग किये जाने पर, काम उपलब्ध कराने के संबंध में ।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अनुसार जॉब कार्डधारियों को काम का आवेदन देने पर उन्हें 15 दिनों के भीतर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराया जाए और निर्दिष्ट समय के भीतर काम न मिलने पर उन्हें बेरोजगारी भत्ता दिया जाए । साथ हीं मजदूरी का भुगतान मस्टर रौल बंद होने की तिथि से 15 दिनों के अंदर किये जाने का प्रावधान है ।

कतिपय विभिन्न जिलों से इस संबंध में परिवाद पत्र प्राप्त हो रहे है जिसके सन्दर्भ मे पूर्व में हीं विभाग / सरकार द्वारा समय-समय पर आवश्यक दिशा-निर्देश निर्गत किये गये है यथा :-

1. मनरेगा अधिनियम के अनुसार जॉब कार्डधारियों को काम की माग के आवेदन दिये जाने के 15 दिनों के अन्दर रोजगार उपलब्ध कराया जाए (सन्दर्भ:- विभागीय पत्रांक 9291 दिनाक 22.07.2011)।
2. मनरेगा की धारा 3(3) के अनुसार कामगारों को सप्ताहिक आधार पर भुगतान किया जाना चाहिये और कार्य करने की तारीख से एक पखवाड़े के अन्दर तो इसे हर हाल मे कर ही दिया जाना चाहिये (सन्दर्भ:- भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देश 2013 चौथा संस्करण के कंडिका 8.3.1)।

अत: निदेशानुसार अनुरोध है कि इन दिशा-निर्देशो का दृढ़तापूर्वक अनुपालन किया जाए ।

विश्वासभाजन
ह0/ 3/12/14
(राजीव कुमार)
परियोजना पदाधिकारी